

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

क्रमांक-10

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदातत/केम्प कोर्ट) केम्प

-: आदेश :-

पार्श्व के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी मेखुरीजा
व भूअनि मेखुरीजा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमारा / नायत
तहसीलदार रेलमारा की अनुसरा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 135 के अनुसरण में ग्राम मेखुरीजा तहसील रेलमारा व
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् २०७७ में खाता संख्या 10 में
पतनान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते है -

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	मेखुरीजा	10	SBBJ शाखा राजपुरा दरिया	SBI शाखा राजपुरा - दरिया

उपखण्ड अधिकारी

पीठासीन अधिकारी

रेलमारा

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, _____

क्रमांक- 182
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 3 OCT 2025

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, _____